संख्या-124/2022/2815/26-3-2022-4(358)/07 टी.सी.III

प्रेषक

डॉ0 रमेश चन्द्र तिवारी
अनु सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में

1- निदेशक समाज कल्याण उ0प्र0 लखनऊ।

2- निदेशक जनजाति विकास उ0प्र0 लखनऊ।

समाज कल्याण अनुभाग-3 लखनऊ: दिनांक 02 दिसम्बर 2022

विषय: वित्तीय वर्ष/शैक्षिक सत्र 2022-23 हेतु प्रदेश के अन्दर तथा वाह्य प्रदेश में अध्ययनरत उ0प्र0 के मूल निवासी छात्रों हेतु दशमोत्तर छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति (कक्षा 11-12 एवं अन्य दशमोत्तर कक्षाओं सहित) से सम्बन्धित पाठ्यक्रमों में अध्ययनरत छात्र/छात्राओं हेतु ऑनलाइन आवेदन एवं अन्य कार्यों हेतु संशोधित समय-सारिणी निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक निदेशालय, समाज कल्याण के पत्रांक-3486/स0क0/शिक्षा-अ/2/76/2022-23, दिनांक-29.11.2022 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से वित्तीय वर्ष/शैक्षिक सत्र 2022-23 हेतु प्रदेश के अन्दर तथा वाह्य प्रदेश में अध्ययनरत उ0 प्र0 के मूल निवासी छात्रों हेतु दशमोत्तर छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति (कक्षा 11-12 एवं अन्य दशमोत्तर कक्षाओं सहित) से सम्बन्धित पाठ्यक्रमों में अध्ययनरत छात्र/छात्राओं हेतु ऑनलाइन आवेदन एवं अन्य कार्यों हेतु संशोधित समय-सारिणी निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में प्रस्ताव उपलब्ध कराया गया है।

2- निदेशक, समाज कल्याण द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव के क्रम में शासनादेश संख्या-47/2022/902/26-3-2022-4 (358)/07टी0सी0-III दिनांक 02-05-2022 द्वारा निर्गत समय-सारिणी में निम्नानुसार संशोधन किया जाता है:-

क0सं0	प्रक्रियात्मक कार्यवाही	कक्षा 11–12 एवं समस्त दशमोत्तर कक्षाओं हेतु वर्तमान समयावधि (2022–23)	कक्षा 11–12 एवं अन्य समस्त दशमोत्तर कक्षाओं में संशोधित समयावधि (2022–23)
1	2	3	4
01	जिला विद्यालय निरीक्षक (कक्षा 11–12 हेतु) एवं सम्बन्धित विश्वविद्यालय एवं एफिलियेटिंग एजेन्सी द्वारा संस्था की मान्यता, पाठ्यक्रम, पाठ्यक्रम का वर्ष एवं अध्ययनरत वर्गवार वास्तविक छात्र संख्या की प्रमाणिकता को डिजिटल हस्ताक्षर से ऑनलाईन सत्यापित करना। अपात्र छात्रों, पाठ्यक्रमों, संस्थाओं को ब्लॉक करना।	10 दिसंबर 2022 तक।	यथावत।
02	PFMS साफ्टवेयर से सत्यापनोपरान्त डाटा वापस प्राप्त किया जाना एवं	16 नवंबर 2022 से 01 दिसंबर 2022	यथावत्।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

	एन0आई0सी0 की राज्य इकाई में निर्धारित विभिन्न बिन्दुओं पर परीक्षण किया जाना।	तक।	
03	जनपदीय छात्रवृत्ति स्वीकृति समिति द्वारा शुद्ध डाटा के सम्बन्ध में निर्णय लिया जाना, स्वीकृत करना एवं जनपद स्तरीय विभागीय अधिकारी के डिजिटल सिग्नेचर से शुद्ध डाटा लॉक किया जाना।	02 दिसंबर 2022 से 18 दिसंबर 2022 तक।	यथावत्।
04	जनपद स्तरीय विभागीय अधिकारी के डिजिटल सिग्नेचर से लॉक डाटा के आधार पर एन0आई0सी0 की राज्य इकाई से माँग सृजित कराना।	23 दिसम्बर 2022 तक।	यथावत्।
05	जनपद स्तरीय विभागीय अधिकारी के डिजिटल सिग्नेचर से लॉक डाटा के आधार पर बैंक/कोषागार के ई–पेमेण्ट (e-payment) के तहत PFMS से छात्र/छात्राओं के आधार लिंक बैंक खातों/बैंक खातों में सीधे धनराशि अन्तरित किया जाना।	28 दिसम्बर 2022 तक।	यथावत्।
कक्षा 11–12 एवं अन्य दशमोत्तर कक्षाओं के अवशेष नवीन (Fresh) एवं नवीनीकरण (Renewal) के छात्र/छात्राओं हेतु			
06	छात्र/छात्राओं द्वारा ऑनलाईन आवेदन किया जाना।	–	01 दिसंबर 2022 से 10 दिसंबर 2022 तक।
07	छात्र/छात्रा द्वारा किये गये ऑनलाईन आवेदन में हुई त्रुटियों (हाईस्कूल, इण्टरमीडियट रोल नम्बर तथा आय, जाति प्रमाण पत्र का क्रमांक तथा आवेदन का क्रमांक) को राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र, लखनऊ द्वारा छात्रवृत्ति के पोर्टल पर स्टूडेन्ट सेक्शन में प्रदर्शित किया जाना।	–	छात्र द्वारा ऑनलाईन आवेदन पूर्ण करने तथा फाइनल प्रिन्ट आउट निकालने से पूर्व तीन कार्य दिवसों में।
08	ऑनलाईन आवेदन पत्र की हार्ड कापी छात्र/छात्राओं द्वारा वांछित संलग्नकों सहित शिक्षण संस्था में जमा किया जाना।	–	02 दिसंबर, 2022 से 14 दिसंबर 2022 तक।
09	छात्र/छात्रा द्वारा ऑनलाईन आवेदन पत्र की हार्डकापी एवं सलग्न अभिलेखों से छात्र/छात्रा के समस्त विवरण का शिक्षण संस्थान द्वारा मिलान किया जाना एवं ऑनलाईन आवेदन प्राप्त करना, अपात्र छात्रों का आवेदन निरस्त करना तथा पात्र छात्रों का आवेदन ऑनलाईन सत्यापित एवं	–	02 दिसंबर, 2022 से 19 दिसंबर 2022 तक।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

	अग्रसारित करना।		
10	छात्र/छात्राओं द्वारा आवेदन पत्र नवीनीकरण (Renewal) न करने का कारण संस्था द्वारा ऑनलाईन छात्र/छात्रा के सम्मुख यथा स्थान अंकित किया जाना एवं जिलाधिकारी के निर्देशन में जनपदीय अधिकारियों, शिक्षा विभाग के अधिकारी एवं कल्याण विभाग के अधिकारियों द्वारा टीम बनाकर संस्था एवं छात्र/ छात्राओं का भौतिक सत्यापन किया जाना।	05 मई, 2022 से 05 दिसम्बर, 2022 तक।	30 दिसम्बर, 2022 तक
11	जिला विद्यालय निरीक्षक (कक्षा 11–12 हेतु) एवं सम्बन्धित विश्वविद्यालय एवं एफिलियेटिंग एजेन्सी द्वारा संस्था की मान्यता, पाठ्यक्रम, पाठ्यक्रम का वर्ष एवं अध्ययनरत वर्गवार वास्तविक छात्र संख्या की प्रमाणिकता को डिजिटल हस्ताक्षर से ऑनलाईन सत्यापित करना। अपात्र छात्रों, पाठ्यक्रमों, संस्थाओं को ब्लॉक करना।	–	20 दिसंबर 2022 से 13 जनवरी 2023 तक।
12	PFMS साफ्टवेयर से सत्यापनोपरान्त डाटा वापस प्राप्त किया जाना एवं एन0आई0सी0 की राज्य इकाई में निर्धारित विभिन्न बिन्दुओं पर परीक्षण (स्क्रूटनी) किया जाना।	–	20 दिसंबर 2022 से 05 जनवरी 2023 तक।
13	जनपदीय छात्रवृत्ति स्वीकृति समिति द्वारा शुद्ध डाटा के सम्बन्ध में निर्णय लिया जाना, स्वीकृत करना एवं जनपद स्तरीय विभागीय अधिकारी के डिजिटल सिग्नेचर से शुद्ध डाटा लॉक किया जाना।	–	06 जनवरी 2023 से 07 फरवरी 2023 तक।
14	सन्देहास्पद डाटा को कारणों सहित छात्र/संस्थाओं के लागिन पर प्रदर्शित किया जाना एवं आनलाइन आवेदन में की गयी त्रुटियों को छात्र द्वारा ठीक किया जाना तथा संस्था को अभिलेखों सहित उत्तर देना।	–	06 जनवरी 2023 से 13 जनवरी 2023 तक।
15	छात्र/छात्राओं द्वारा ऑनलाईन आवेदन पत्र की त्रुटियों को ठीक करके हार्डकापी समस्त वांछित संलग्नकों सहित शिक्षण संस्था में जमा किया जाना तथा संस्था को अभिलेखों सहित उत्तर देना।	–	आवेदन पत्र भरने के पश्चात् विलम्बतम 16 जनवरी, 2023 तक।
16	त्रुटियों को ठीक करके छात्र द्वारा जमा किये गये आवेदन पत्रों का विद्यालय द्वारा संलग्न अभिलेखों से मिलान करके	–	07 जनवरी 2023 से 19 जनवरी 2023 तक।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

	ऑनलाईन सत्यापित एवं अग्रसारित करना तथा छात्र द्वारा प्रस्तुत किये गये अभिलेखों को जिला कल्याण अधिकारियों को उपलब्ध कराना।		
17	छात्र द्वारा सही किये गये सन्देहास्पद डाटा को एन0आई0सी0 की राज्य इकाई में विभिन्न बिन्दुओं पर पुनः परीक्षण किया जाना।	28 दिसम्बर 2022 से 13 जनवरी 2023 तक।	20 जनवरी 2023 से 06 फरवरी 2023 तक।
18	जनपदीय छात्रवृत्ति स्वीकृति समिति द्वारा सन्देहास्पद एवं अवशेष शुद्ध डाटा के सम्बन्ध में निर्णय लिया जाना एवं पात्र छात्रों की छात्रवृत्ति तथा शुल्क प्रतिपूर्ति स्वीकृत करना तथा जनपद स्तरीय विभागीय अधिकारी के डिजिटल सिग्नेचर से डाटा लॉक किया जाना।	14 जनवरी 2023 से 14 फरवरी 2023 तक।	07 फरवरी 2023 से 28 फरवरी 2023 तक।
19	जनपद स्तरीय विभागीय अधिकारी के डिजिटल सिग्नेचर से लॉक डाटा के आधार पर एन0आई0सी0 की राज्य इकाई से माँग सृजित कराना।	21 फरवरी 2023 तक।	06 मार्च 2023 तक।
20	जनपद स्तरीय विभागीय अधिकारी के डिजिटल सिग्नेचर से लॉक डाटा के आधार पर कोषागार के ई–पेमेण्ट (e-payment) के तहत PFMS प्रणाली के माध्यम से छात्र/छात्राओं के आधार लिंक बैंक खातों/बैंक खातों में सीधे धनराशि अन्तरित किया जाना।	24 फरवरी 2023 तक।	10 मार्च 2023 तक।

नोटः–

1– उक्त समय–सारिणी के समयावधि के अन्तर्गत वार्षिक परीक्षाफल अथवा सेमेस्टर होने की दशा में दोनों सेमेस्टर का परीक्षाफल घोषित होने के बाद उत्तीर्ण/प्रोन्नत (Promoted with marks) होने पर ही छात्र अपने पूर्व आवेदन पत्र का नवीनीकरण कर सकेंगे।

2– नवीनीकरण के छात्र को केवल अगली कक्षा में प्रवेश की तिथि तथा गत कक्षा का परीक्षाफल व नामांकन संख्या (Enrollment Numer) अंकित करते हुये ऑनलाईन आवेदन किया जाना है। नवीनीकरण के आवेदन में कोई अन्य सूचना नहीं भरनी होगी।

3– छात्र द्वारा दिनांक 02 मई, 2022 का जारी समय–सारिणी की समयावधि में वार्षिक परीक्षा फल/दोनों सेमेस्टर का परीक्षाफल न निकलने की दशा में Result Not Yet Declared आप्सन चुनते हुए ऑनलाईन आवेदन किया गया हो तो ऐसे सभी छात्रों का डाटा संदेहास्पद श्रेणी में होने के कारण संदेहास्पद डाटा को सही करने की वर्तमान समय–सारिणी की समयावधि दिनांक 06 जनवरी, 2023 से 13 जनवरी, 2023 तक सही करके संस्था से भी यथास्थान परीक्षाफल अंकित कराते हुए अग्रसारित कराना होगा। दिनांक 13 जनवरी, 2023 तक परीक्षाफल न निकलने अथवा छात्र द्वारा पूर्व में Result Not Yet Declared आप्शन से भरे गये आवेदन में संशोधन न करने एवं संस्था द्वारा

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

संशोधित किये गये आवेदन को अग्रसारित न करने की दशा में आवेदन निरस्त माना जायेगा।

4— संस्था द्वारा छात्र का आवेदन ऑनलाईन अग्रसारित करते समय छात्र का गत वर्ष की परीक्षा (सेमेस्टर होने की दशा में दोनो सेमेस्टर के अंकों को जोड़ते हुए) का प्राप्तांक एवं पूर्णांक तथा उपस्थिति का प्रतिशत भरना अनिवार्य होगा।

5— विश्वविद्यालय एवं एफिलियेटिंग एजेन्सी परीक्षा परिणाम घोषित होते ही तत्काल छात्रवृत्ति पोर्टल पर अपने लॉगिन से निर्धारित माड्यूल पर अपलोड करेगें जिससे कि छात्र द्वारा आवेदन करते समय ही परीक्षा परिणाम से मिलान लाइव हो सके तथा स्क्रूटनी के समय मिलान किया जा सके।

6— दिनांक 07 नवंबर, 2022 तक फाइनल प्रिन्ट न लेने वाले तथा दिनांक 15 नवंबर, 2022 तक शिक्षण संस्थान से अग्रसारित न होने वाले लम्बित डाटा को उक्त समय—सारिणी में निर्धारित तिथियों के अन्तर्गत फाइनल प्रिन्ट/अग्रसारण की कार्यवाही की जा सकेगी।

शासनादेश संख्या—47/2022/902/26—3—2022—4(358)/07टी0सी0 III दिनांक 02 मई, 2022 द्वारा जारी समय—सारिणी के अनुसार सभी सही एवं सत्यापित छात्रों का भुगतान की कार्यवाही दिनांक 28 दिसम्बर, 2022 तक पूर्ण की जायेगी। उसके उपरान्त दिनांक 02 मई, 2022 को जारी समय—सारिणी में छात्रों द्वारा ऑनलाईन आवेदन सहित समस्त अन्य कार्यवाही आदि हेतु दी गयी समयावधि एवं अन्य शर्तें उक्तानुसार संशोधित मानी जायेगी।

3— अतएव उक्त के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया उपरोक्त संशोधित समय—सारिणी का अपने स्तर से प्रचार—प्रसार कराते हुये सुसंगत छात्रवृत्ति नियमावलियों में उल्लखित प्राविधानों के अनुसार शैक्षिक सत्र 2022—23 में दशमोत्तर योजना का क्रियान्वयन सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

डॉ0 रमेश चन्द्र तिवारी
अनु सचिव।

पृ0सं0—124/2022/2815(1)/26—3—2022 तद्दिनांकः—

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :—

1— महालेखाकार, उ0प्र0, प्रयागराज।
2— अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, पिछड़ा वर्ग कल्याण/अल्पसंख्यक कल्याण/वित्त/नियोजन/मा0शिक्षा/उच्च शिक्षा/तकनीकी शिक्षा/व्यवसायिक शिक्षा/चिकित्सा शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन।
3— समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उ0प्र0 **द्वारा** निदेशक, समाज कल्याण।
4— निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
5— निदेशक, कोषागार, उ0प्र0लखनऊ।
6— निदेशक, पिछड़ा वर्ग/अल्पसंख्यक कल्याण, उ0प्र0लखनऊ।
7— मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
8— निदेशक, एन0आई0सी0 राज्य इकाई, योजना भवन, लखनऊ।
9— समस्त जिला समाज कल्याण अधिकारी, उ0प्र0 **द्वारा** निदेशक, समाज कल्याण।
10— गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

डॉ0 रमेश चन्द्र तिवारी
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।